

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

कमांकः एफ-37 / जेडीए / ले-आउट प्लान / 2022 / 5-113

दिनांक :: 21/12/2022

गैरार्श आशापूर्णा विल्डकॉन लि. जरिये मैनेजिंग डायरेक्टर श्री करणसिंह पुत्र श्री मोहनसिंह निवासी-- जालोर एवं जोधपुर

विषय:— राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 99/9, 99/10, 101/3, 101/4, 101/5, 101/1, 292/99, 104, 99/6, 99/7 रकवा 58.15.00 वीघा (95097.98 वर्गमीटर) में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुगोदन बावत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 99/9, 99/10, 101/3, 101/4, 101/5, 101/1, 292/99, 104, 99/6, 99/7 रकवा 58.15.00 वीघा (95097 98 वर्गमीटर) में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ अनुमोदन समिति जोन—2 (ले-आउट प्लान) की 01/2022 की वैठक दिनांक 20.12.2022 में प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद विचार—विमर्श निम्नलिखित शर्तो के साथ ले—आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गयाः—

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार एवं जोनल डवलपमेन्ट प्लान अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध पहुंच मार्ग की चौडाई 80 फीट सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें।

2. आवेदित भूमि में से गुजर रही जोनल डवलपमेन्ट प्लान की 18 मीटर प्रस्तावित सडक को दर्शाया जावे।

3. आवेदित भूमि में से एच.टी.लाईन गुजर रही है। अतः नियमानुसार सेफ्टी कॉरीडोर एँवं जोनल प्लान के प्रावधान अनुसार सेफ्टी कॉरीडोर के समानान्तर 12 – 12 मीटर की सड़क दर्शायी जावें।

4. मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधानानुसार 2 है० से अधिक की योजना में नियमानुसार ई.डब्ल्यू. एस./एलं.आई.जी. के आवासों का प्रावधान किया जावे।

5. नगरीय विकास विभाग के परिपन्न दिनांक 29.09.2021 के प्रावधान 6(iii) के अनुसार न्यूनंतम सुविधा क्षेत्र एवं. पार्क / खुले क्षेत्र का प्रावधान किया जावें।

6. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज् में विकय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्वितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।

7. उक्त प्रश्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद अवाप्ति, एवं गालिकाना हक की रामस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ—पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लिखत है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ प्रा लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।

प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व जोविष्ठा जोधपुर से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

अतः पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर-भीतर उपरोक्तानुसार शर्तों की पूर्वि करते हुए आवश्यक संशोधन कर प्रश्नगत भूमि के ले-आउट प्लान की पाँच प्रतिया क्लोथ गिल्या पर प्रस्तुत करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

> उप नगर नियोजक (जोन 2) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

दिनांक ::

क्मांकः एफ–37 / जेडीए / ले–आउट प्लान / 2022 / प्रतिलिपी:– वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है– 1 उपायुक्त जोन 02, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

> उप नगर नियोजक (जोन 2) जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर

Scanned with CamScanner



